

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा : कारण, प्रभाव और समाधान — एक अध्ययन

Mamta Yadav

Research Scholar, Law LNCT University, Bhopal

Dr. Ramesh Kumar Shukla

Associate Professor, LNCT University, Bhopal

mamtalokeshbadgotya@gmail.com

सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं, वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिये एक विरासत बनती जा रही है। इस आलेख में घरेलू हिंसा के कारणों, समाज और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा समस्या समाधान के उपाय तलाशने का प्रयास किया जाएगा।

परिचय

घरेलू हिंसा एक ऐसी सामाजिक समस्या है, जो परिवार नामक संस्था की आत्मा को घायल करती है। महिलाओं पर होने वाली हिंसा केवल शारीरिक प्रहार नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न का रूप भी है। भारतीय समाज में, जहाँ परिवार को सम्मान और



संस्कार का प्रतीक माना जाता है, वहीं कई बार इसी परिवार की चारदीवारी के भीतर महिला असुरक्षा, दर्द और अत्याचार सहने के लिए मजबूर होती है। यह अध्ययन महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कारणों, उसके प्रभाव और समाधान पर आधारित है।

शब्दकोश - घरेलू हिंसा, शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, आत्मग्लानि, दुर्व्यवहार

घरेलू हिंसा का अर्थ

घरेलू हिंसा (**Domestic Violence**) का अर्थ है—पति, ससुराल अथवा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किसी महिला पर शारीरिक, मानसिक, यौन, सामाजिक या आर्थिक शोषण करना। भारत में घरेलू हिंसा रोकथाम के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम (**Domestic Violence Act**), 2005 लागू है।

भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा- किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे- मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना, महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिये विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार, लगभग दो-तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15-49 आयुवर्ग की 70% विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं।



घरेलू हिंसा के प्रकार

शारीरिक हिंसा — मारना, चोट पहुँचाना, धक्का देना, जलाना आदि।

मानसिक/भावनात्मक हिंसा — अपमानित करना, ताने मारना, धमकाना, डराना।

आर्थिक हिंसा — पैसे या संपत्ति पर नियंत्रण, आर्थिक स्वतंत्रता न देना।

यौन हिंसा — इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर करना।

सामाजिक हिंसा — महिला को परिवार व समाज से अलग रखना, उसकी स्वतंत्रता पर रोक।

घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण

1 सामाजिक मान्यताएँ और पुरुष-प्रधान सोच

2 दहेज प्रथा की जड़ें

3 शराब/नशे की लत

4 आर्थिक निर्भरता और शिक्षित न होना

5 पारिवारिक कलह, संचार की कमी

6 कानूनों की जानकारी का अभाव

कई बार समाज यह मान लेता है कि पति-पत्नी का मामला है, इस सोच से हिंसा बढ़ती है और महिला की आवाज दब जाती है।

घरेलू हिंसा के प्रभाव

शारीरिक परिणाम — चोट, बीमारी, कभी-कभी मृत्यु तक।

मानसिक परिणाम — भय, अवसाद, आत्मग्लानि, आत्महत्या का जोखिम।

सामाजिक परिणाम — समाज से दूरी, आत्मविश्वास में कमी।



आर्थिक परिणाम — महिला नौकरी न कर पाए, आर्थिक रूप से निर्भर हो जाए।

बच्चों पर प्रभाव — घरेलू हिंसा का गवाह बच्चा मानसिक रूप से असुरक्षित व आक्रामक हो सकता है।

यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं।

घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं।

घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।

बालिकाएँ नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दबबू, चुप-चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं।

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाएँ समाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं।



समाधान के उपाय

शोधकर्ताओं के अनुसार, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकल सकते हैं।

भारत अभी तक हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ा रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिये हमें पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मामले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा।

सुधार लाने के लिये सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे-पिटे ढर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा।

सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये यह समझना ज़रूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित हैं।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से उबरने वाले परिवारों को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है।



सरकार ने वन-स्टॉप सेंटर' जैसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिये चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम व सुनिश्चित करता है।

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये वोग इंडिया ने 'लड़के रुलाते नहीं' अभियान चलाया, जबकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन 'ब्रेकथ्रू' द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ 'बेल बजाओ' अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिये निजी स्तर पर किये गए शानदार प्रयास थे।

कानून एवं सरकारी प्रावधान

महिलाओं की सुरक्षा हेतु भारत में कई कानून बनाए गए हैं:

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

दहेज निषेध अधिनियम, 1961

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A – पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता

इनके तहत महिला शिकायत दर्ज कर सकती है, सुरक्षा आदेश प्राप्त कर सकती है और आर्थिक सहायता भी मांग सकती है।

निष्कर्ष

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और सामाजिक चिंता है। समाज तभी विकसित माना जाएगा, जब उसके घरों की महिलाएँ सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबी हों। समाधान सरकार के कानूनों से ही नहीं होगा, बल्कि समाज और परिवार की सोच बदलने से होगा।



संदर्भग्रंथ सूची।

- भारत का संविवान डॉ. जय नारायण पांडे।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)
- एम. लक्ष्मीकांत की भारतीय संविवान
- ए ववल्लडकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन

